

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

प्रतिवादीगण अधिकारी - स्वाति गुप्ता
राजस्व वाद संख्या - 220/2023

1. हनुमान पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी 8 एस.एल. डबल्यू सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- - वादी
- बनाम
1. सुनिता पत्नी स्व० विजयसिंह जाति जाट निवासी ताजा पट्टी तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।
2. हिमाल पुत्री स्व० विजयसिंह पुत्र रामजस जाति जाट निवासी ताजा पट्टी तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।
3. सोनिया पुत्री स्व० विजयसिंह पुत्र रामजस जाति जाट निवासी ताजा पट्टी तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।
4. नरेश कुमार पुत्र स्व० विजयसिंह पुत्र रामजस जाति जाट निवासी ताजा पट्टी तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।
5. सविता पत्नी भीमसैन पुत्र रामजस जाति जाट निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. अनुरानी पुत्री भीमसैन जाति जाट निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
7. नवीन कुमार पुत्र भीमसैन पुत्र रामजस जाति जाट निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
8. मनीषा पुत्री भीमसैन पुत्र रामजस जाति जाट निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
9. सन्तोष पत्नी रामजस जाति जाट निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
10. सावित्री पुत्री रामजस पत्नी भूपसिंह जाति जाट निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
11. आमप्रकाश पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी चक 8 एस.एल. डबल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
12. भार्गीरथ पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी चक 8 एस.एल. डबल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
13. महावीर पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी चक 8 एस.एल. डबल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
14. राजेन्द्र कुमार पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी चक 8 एस.एल. डबल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
15. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।
- - प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए.घोषणा, शाश्वत व्यादेश

डिक्री

दिनांक :- 13.08.2024



वादी की ओर से श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री करनैलसिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12.08.2024 को स्वाति

सुपरीकरण उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

- क. वादी हनुमान, प्रतिवादी संख्या 11 और प्रकाश, प्रतिवादी संख्या 12 मागीरथ, प्रतिवादी संख्या 13 महावीर को बहिरसा बराबर प्राप्त आराजी— चक नम्बर 8 एस. एल.डबल्यू के खाता संख्या 134/112 में कुल 14.674 हेक्टर में से रामजस पुत्र मनीराम का 12229/73370 हिस्सा में से 1.010 हेक्टर
- ख. प्रतिवादी संख्या 4 नरेश कुमार, प्रतिवादी संख्या 7 नवीन कुमार, प्रतिवादी संख्या 9 संतोष, प्रतिवादी संख्या 10 सावित्री को बहिरसा बराबर प्राप्त आराजी— चक नम्बर 8 एस.एल.डबल्यू के खाता संख्या 134/112 में कुल 14.674 हेक्टर में से रामजस पुत्र मनीराम का 12229/73370 हिस्सा में से 1.1828 हेक्टर, इसी चक के खाता संख्या 136/113 में कुल 5.490 हेक्टर आराजी में से रामजस का 1/6 हिस्सा, चक नम्बर 1 एन.डी.आर. के खाता संख्या 72/5 में कुल 10.464 हेक्टर में से रामजस का 29/5232 हिस्सा
- ग. प्रतिवादी संख्या 14 राजेन्द्र कुमार को प्राप्त आराजी— चक नम्बर 8 एस.एल.डबल्यू के खाता संख्या 134/112 में कुल 14.674 हेक्टर में से रामजस पुत्र मनीराम का 12229/73370 हिस्सा में से 0.253 हेक्टर आराजी
- घ. इसके अलावा पक्षकारान ने अपनी आराजी में आवागमन के लिए चक नम्बर 8 एस. एल.डबल्यू के पत्थर नम्बर 207/307 (38) किला नम्बर 11, 12, 13, 14, 15 व पत्थर नम्बर 206/307(37) किला नम्बर 15 प्रत्येक में 0.025 हेक्टर चौड़ा रास्ता दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम व किला नम्बर 14 में 0.002 हेक्टर उतरी-पश्चिमी कॉर्नर, 17.24 पत्थर नम्बर 206/308(50) किला नम्बर 4, 7, 14, 17, 24 प्रत्येक में 0.025 हेक्टर चौड़ा पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण, पत्थर नम्बर 206/309(55) किला नम्बर 4 में 0.025 हेक्टर चौड़ा रास्ता उतरी दिशा में पूर्व से पश्चिम गैर मुमकिन रास्ता का अंकन किया जाकर

उपरोक्त अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर चक नम्बर 8 एस.एल.डबल्यू के खाता संख्या 134/112 व खाता संख्या 136/113, चक नम्बर 1 एन.डी.आर. के खाता संख्या 72/5 में से रामजस का नाम कलमजुन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किरम (यथा नहरी/बाराणी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 13.08.2024 को मेर हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(स्वाति गुप्ता)
सुपरीकरण उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी